प्रेस नोट 15.11.2022

एक अवैध तमंचा व तीन जिंदा कारतूस के साथ दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 15.11.2022 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मिश्रौली से सद्दाम पुत्र सिब्बु निवासी तिघरा, आकिब पुत्र मो0 कासीम निवासी कारीसाथ थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से क्रमशः एक अदद तमंचा व एक अदद जिदां कारतूस 315 बोर तथा 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 545/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 15.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा अरूण सिंह, रोहित सिंह निवासीगण पिन्डोहरी थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विजय शर्मा, दीपक शर्मा निवासीगण हरिकेशपुरा थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सुरेन्द्र चौहान, मृगेन्द्र चौहान निवासीगण चालीसवा, सुनिल, वीरेन्द्र निवासीगण मोहिद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सत्यम सिंह निवासी बखईपुर, सार्थक पाण्डेय निवासी बुनाई विद्यालय थाना सरायलखंसी, आर्यन गुप्ता निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली, थाना रामपुर पुलिस द्वारा धनन्जय यादव निवासी फूलपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 15.11.2022 को यातायात माह नवम्बर–2022 के क्रम में गाजीपुर तिराहे पर निशुल्क नेत्र शिविर जाँच का आयोजन पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री धन्नजय मिश्र व प्रभारी यातायात राजकेशर सिंह द्वारा शारदा नारायण हास्पिटल मऊ तथा लायन्स क्लब मऊ के सहयोग से कराया गया। इस अवसर पर ट्रक चालक/बस चालक/टैम्पू चालक/ई–रिक्शा/वाहन चालको का निशुल्क नेत्र परिक्षण/बी0पी0 परीक्षण कराया गया तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्यक निर्देश/सलाह दिया गया। इस दौरान लगभग 250 व्यक्ति शामिल हुए साथ ही साथ प्रभारी यातायात राजकेशर सिंह, टी0एस0आई0 मो0 रूस्तम खाँ, का0 प्रवीण गुप्ता, का0 संजय यादव, का0 अरविन्द सिंह, द्वारा यातायात नियमो का प्रचार प्रसार भी किया गया।